ENGAGE 2 CHANGE

वृद्ध वयस्कों और विकलांग वयस्कों के साथ दुर्व्यवहार की पहचान करें एवं रिपोर्ट करें

ilaging.illinois.gov/engage.html

24-घंटे हॉटलाइन: 1-866-800-1409

IDoA
Illinois Department on Aging

इलिनॉय राज्य, जरण विभाग (एजिंग डिपार्ट्मन्ट)
वन नैचुरल रिसोर्सेज वे, #100
स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉय 62702-1271
https://ilaging.illinois.gov

वरिष्ठ हेल्पलाइन (सुबह 8:30 बजे – शाम 5:00 बजे, सोमवार – शुक्रवार):
1-800-252-8966, 711 (TRS)

वयस्क सुरक्षा सेवा हॉटलाइन (24-घंटे):
1-866-800-1409, 711 (TRS)

इलिनॉय जरण विभाग किसी भी व्यक्ति से उसकी नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता के मूल, वंशावली, आयु, संरक्षण आदेश की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, सैन्य स्थिति, यौन झुकाव, लैंगिक पहचान, गर्भावस्था या कार्यक्रमों में प्रवेश या कार्यक्रमों या गतिविधियों में रोजगार के उपचार में सैन्य सेवा से प्रतिकूल सेवा-समाप्ति के कारण भेदभाव नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि आपसे भेदभाव किया गया है, तो आपको इलिनॉय जरण विभाग में शिकायत दर्ज़ कराने का अधिकार है।
जानकारी के लिए वरिष्ठ हेल्पलाइन पर कॉल करें: 1-800-252-8966; 711 (TRS)।

इलिनॉय राज्य के प्राधिकरण द्वारा मुद्रित

IL-402-1190 - 500 - संशोधित 02/23

State of Illinois
Illinois Department on Aging

IDoA
Illinois Department on Aging

इलिनॉय की वयस्क सुरक्षा
सेवाओं का एक कार्यक्रम

#ENGAGE 2 CHANGE

इलिनॉय वयस्क सुरक्षा सेवाओं का कार्यक्रम

इलिनॉय वयस्क सुरक्षा सेवा अधिनियम (लोक अधिनियम 98-0049)
18-59 वर्ष की आयु के विकलांग वयस्कों या समुदाय में रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की समस्या का समाधान करने के लिए कानून में नियम बनाया गया था।
(पात्र वयस्क)। इस अधिनियम के प्राधिकार के अंतर्गत, इलिनॉय
जरण विभाग कथित दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, और आत्म-उपेक्षा और स्थिति को स्थिर करने और दुर्व्यवहार वाली परिस्थितियों का समाधान निकालने के लिए मामले की रूपरेखा तैयार करने और लागू करने हेतु वयस्क
के साथ काम करने के लिए एक राज्यव्यापी वयस्क सुरक्षा सेवा (APS)
हस्तक्षेप कार्यक्रम का संचालन करता है।

इसके अलावा, APS कार्यक्रम पात्र वयस्कों की मदद करने के लिए बिना उचित देखभाल या उनकी ज़रूरतों का उचित प्रबंध किए परित्याग मामलों की रिपोर्ट भी स्वीकार करता है।
इस विवरणिका का मकसद, यह समझने में आपकी मदद करना है कि परित्याग का क्या अर्थ है और यह APS में कैसे फिट बैठता है।

परित्याग:

"किसी पात्र वयस्क की देखभाल और अभिरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उन परिस्थितियों में उस पात्र वयस्क को छोड़ देना या उसे जानबूझ कर त्याग देना जिसमें कोई विवेकी व्यक्ति देखभाल और अभिरक्षा प्रदान करना जारी रखेगा", परित्याग कहलाता है। (लोक अधिनियम 102-0244)
यह ध्यान रखना कि कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा जाए महत्वपूर्ण है:

- पात्र वयस्क की "देखभाल और अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार" व्यक्ति द्वारा परित्याग किया जाना चाहिए और,
- कोई "विवेकी व्यक्ति" पात्र वयस्क की देखभाल और अभिरक्षा प्रदान करना जारी रखेगा।

परित्याग के संभावित संकेतक:

- बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में व्यक्ति को अकेला छोड़ देना व्यक्ति के लिए जोखिम पैदा करता है।
- दुराचारी द्वारा व्यक्ति की देखभाल किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सौंप दी गई, जो उस व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है।
- दुराचारी द्वारा इस संस्था के साथ अनुवर्ती देखभाल की व्यवस्था किए बिना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उस व्यक्ति की देखभाल सौंपी हो।
- दुराचारी वैकल्पिक देखभाल की योजना के बिना ही किसी व्यक्ति की देखभाल करना बंद कर देता है।

व्यक्तिगत पसंद:

APS कार्यक्रम वयस्कों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर आधारित है; वयस्क की भागीदारी और सहमति के बिना वयस्क के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। पात्र वयस्कों के अपने घर में रहने के अधिकार सहित उनकी पसंदों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का सम्मान करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

रिपोर्ट करना:

वयस्क सुरक्षा सेवा कार्यक्रम केवल उन वयस्कों को जोखिम में मदद कर सकता है जिनकी पहचान एक रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। यदि आपको किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण या परित्याग का संदेह होता है, तो कॉल करें। सभी कॉल गोपनीय हैं।

24 घंटे उपलब्ध रहने वाला हॉटलाइन नंबर 1-866-800-1409 है

किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, एक प्रशिक्षित केसवर्कर मामले की गंभीरता के आधार पर एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर उत्तर देता है।

APS सेवाएँ

वयस्क की सहमति से, APS व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि भोजन, कपड़े, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करने के लिए हस्तक्षेप करेगा।